तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** उपस्थिति– श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** **दिनांक : 01.4.2019** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के रेफरेन्स प्रकरण सं. 76 / 96 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 25–10–2000 के संदर्भ में पेश किया गया है। यह रेफरेन्स अप्रार्थीगण भंवरलाल, भैरू, देवीदत्त, जुगल, राधेश्याम, मोहनलाल पिसरान रामेश्वर, हनुमान पुत्र धन्नालाल एवं बृजमोहन पुत्र धन्नालाल के विरूद्ध पेश किया गया था। इनमें से अप्रार्थी हनुमान पुत्र धन्नालाल फोत होने पर उसके वारिसान रतनलाल, जुगलकिशोर पुत्रान हनुमान, लक्ष्मीदेवी पुत्री हनुमान, भंवरलाल पुत्र हनुमान (फोत) के वारिसान– अनिल, प्रमोद, अशोक पुत्रान भंवरलाल, सावित्री, सुनिता पुत्रियां भंवरलाल को एवं उपरोक्त अन्य समस्त अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया जाता है। अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि मौजा भदलिया के बंदोबस्त संवत् 2010 से 2020 तक गत खसरा नंबर 99 रकबा 117 बीघा 4 बिस्वा आराजी डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 99 / 1, 99 / 2 व 99 रकबा क्रमशः 30 बीघा 10 बिस्वा, 58 बीघा 12 बिस्वा, 28 बीघा 2 बिस्वा बने हैं। कालान्तर में मंदिर का नाम विलोपित करते हुए हाल आराजी खसरा नंबर 99 / 1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भंवरलाल, भैरू, देवीदत्त, राधेश्याम व मोहन लाल के नाम, आराजी खसरा नंबर 99 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थी हनुमान के नाम तथा आराजी खसरा नंबर 99 / 2 रकबा 58 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी बृजमोहन के नाम दर्ज कर दी गई। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिए मंदिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति / संस्था के नाम नहीं हो सकता है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जावे तथा उक्त आराजी पुनः डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंदोबस्त संवत् 2010 से 2020 तक गत खसरा नंबर 99 रकबा 117 बीघा 4 बिस्वा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी से नये खसरा नंबर 99 / 1, 99 / 2 व 99 रकबा क्रमशः 30 बीघा 10 बिस्वा, 58 बीघा 12 बिस्वा, 28 बीघा 2 बिस्वा बने हैं। कालान्तर मंदिर का नाम विलोपित करते हुए हाल आराजी खसरा नंबर 99 / 1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नंबर 99 / 2 रकबा 58 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण भंवरलाल, भैरू, देवीदत्त, जुगल, राधेश्याम, मोहनलाल, हनुमान व बृजमोहन के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार मंदिर की भूमि को बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के नाम अंकित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी तथा काश्त करने के आधार पर कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हम विवादित भूमि को पुनः डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नंबर 99 / 1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नंबर 99 / 2 रकबा 58 बीघा 12 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाकर उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में पुनः डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	